FUNCTIONS OF THE NOTARY CELL

The administration of the Notaries Act, 1952 and the Rules, 1956 framed thereunder comes under the purview of the Notary cell. The Notary Cell deals with examination/scrutiny of the memorials/applications received from different States/Union Territories in the country and processing of these memorials for appointment of Notaries. This Cell conducts inquiries into the allegations of professional misconduct on the part of the Notaries. The Notary Cell also renews certificates of practice of notaries, issued by the Central Government every five years. For sufficient reasons, it also grants extension of the area of practice to the notary public, on receipt of an application for the purpose. In the Court cases pending before the various High Courts, Counter Affidavits/Replies are prepared and filed. The Parliament Questions received during the sessions are promptly dealt with and are submitted to the Hon'ble MLJ for approval. Police inquiries made for investigating crimes are received from various Police Stations in the NCR are examined and are replied accordingly.

So far, approximately, 16,000 notaries have been appointed by the Central Government in various parts of the country. Recently, from May 2018, for a special drive, 12 Interview Boards were constituted for the selection of Notary Public in the States/UTs of North East (Assam, Meghalaya and Tripura), Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Tamilnadu& Puducherry, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana, Delhi, Gujarat, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, Maharashtra& Goa. Interviews in respect of aforementioned States/UTs have already been completed and 8960 candidates have been recommended by the Interview Boards to be appointed as Notary Public during the year 2018-19. Till date more than 7900 certificates of practice have also been issued. The process of issuing remaining Certificates of Practice is going on for these states. Besides, this about 1014 Notary Certificates have been renewed during the period of 1st January, 2020 to 19th November 2020. From 1st January 2020 to 19thNovember 2020, 265 RTI application were received and disposed off.

DETAILS OF CPIO & FIRST APPELLANT AUTHORITY NOTARY CELL

DESIGNATION	NAME & DESIGNATION	TELE. NO	E-MAIL ID
CPIO	Shri T.K.Malik	011-23384446	tk.malik@nic.in
F.A.A	Shri S.R Mishra, Additional Secretary	011-23384204	mishra sr61@nic.in

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
NOTARY CELL

REPORT ON THE WORKING OF NOTARY CELL

ORGANISATION CHART
NOTARY CELL

Shri T.K. Malik,
DLA & Competent
Authority

Shri ManindraChoudhary, Superintendent (Legal)

1.	Shri Ram Ji Lal Meena	Court Clerk
2.	Shri Rohit	Court Clerk
3.	Ms. Naushaba Haidar	Legal Research Associate
4.	Shri Ganesh	MTS (Regular)
5.	Apart from the above-mentioned staff, 7 (Seven) contractual staff are also rendering their services in the Notary Cell.	

(T.K.Malik)
DLA & CA
Tel.-23384446

नोटरी सेल के कर्तव्य

नोटरी अधिनियम,1952 का प्रशासन और उसके तहत बनाए गए नोटरी नियम,1956 नोटरी सेल के दायरे में आता है। नोटरी सेल विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से मिले स्मृतिपत्र/आवेदन की जांच की प्रक्रिया पूरी करके नोटरी नियुक्ति का कार्य करता है। यह सेल नोटरियों द्वारा की गई कथित व्यावसायिक अवचार के आरोपों की भी जांच करता है। नोटरी सेल केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए नोटरी प्रमाण पत्र का भी हर पांच वर्षों में नवीनीकरण करता है। आवेदन की प्राप्ति एवं पर्याप्त कारण होने पर यह सेल नोटरी के कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी करता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में हलफ़नामा/उत्तर तैयार कर दाखिल किया जाता है। संसद सत्र के दौरान संसद द्वारा पूछे गए सवालों को त्वरित प्राप्त एवं जवाब बनाकर माननिय कानून औरन्याय मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रतुत किया जाता है। पुलिस द्वारा की जाने वाले अपराधों की जांच के दौरान विभिन्न पुलिस स्टेशन से प्राप्त जांच पत्र की पड़ताल कर भी जवाब दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने अब तक देश के वभिन्न हिस्सों में तक़रीबन १६००० नोटरियों की नियुक्ति की है। हाल ही में, मई २०१८ से, एक विशेष अभियान के अंतर्गत, १२ साक्षात्कार बोर्ड का गठन इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नोटरी का चयन करने के लिए किया गया-उत्तर पूर्व (असम, मेघालय एवं त्रिपुरा), बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश , तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र एवं गोवा। उपरोक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षात्कार संपन्न हो चुके हैं एवं ८९६० उम्मीदवारों को नोटरी पब्लिक नियुक्त करने के लिए साक्षात्कार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब तक ७९०० से ज़्यादा नोटरी प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, १ जनवरी २०२० से १९ नवम्बर २०२० तक १०१४ नोटरी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण भी किया गया है। १ जनवरी २०२० से १९ नवम्बर २०२० तक, २६५ सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किया गया है जिनका जवाब दिया जा चूका है।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, नोटरी सेल का विवरण

पदनाम	नाम और पदनाम	दूरभाष	इ-मेल
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी	श्री टी के मलिक	०११-२३३८४४४६	tk.malik@nic.in
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	श्री एस आर मिश्रा, अपरसचिव	०११-२३३८४२०४	mishra sr61@nic.in

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि-कार्य विभाग

नोटरी सेल

******

संगठन चार्ट

नोटरीसेल

श्री टी के मलिक,
डी.एल.ए एवं सक्षम
प्राधिकारी

श्री मनिन्द्र चौधरी, अधिक्षक (विधि)

1.	श्री रामजी लाल मीणा	न्यायालय लिपिक
2.	श्री रोहित	न्यायालय लिपिक
3.	सुश्री नौशाबा हैदर	कानूनी अनुसंधान सहयोगी
4.	श्री गणेश	ऍम टी एस (रेगुलर)
5.	उपर्युक्त कर्मचारियों के अलावा, ७ (सात) संविदात्मक कर्मचारी भी नोटरी सेल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।	

श्री टी के मालिक,
डी.एल.ए एवं सक्षम प्राधिकारी
दूरभाष-२३३८४४४६